छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक २३ अगस्त, १९९८ पूर्वाह्न ११ बजे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया ।

उपस्थिति

१. डा० ब्रज किशोर सिंह	अध्यक्ष
२. डा० एस० बी० मिश्रा	सदस्य
३. डा० (श्रीमती) कमल द्विवेदी	,,
४. डा० एम० पी० सिन्हा	,,
५. डा० आर० आर० शर्मा	,,
६. डा० शिशुपाल सिंह भदौरिया	,,
७. डा० (श्रीमती) ममता कालिया	,,
८. श्री एम० एल० यादव	,,
९. डा० (श्रीमती) आशा श्रीवास्तव	,,
१०. डा० एस० के० त्रिवेदी	,,
११. डा० जी० एस० दुबे	,,
१२. डा० वी० डी० गुप्ता	,,
१३. सरदार कुलदीप सिंह	,,
१४. न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर गुप्त	,,
१५. वित्त अधिकारी	पदेन सदस्य
१६. कुलसचिव	सचिव

कार्य-विवरण

सर्वप्रथम कुलपति जी ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा नवनियुक्त सदस्यों से कार्य परिषद् को परिचित कराया । उन्होंने निवर्तमान सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया तथा विश्वविद्यालय के प्रति की गई उनकी सेवाओं के लिए सराहना की । कार्य परिषद् ने कुलपति जी की नियुक्ति पर बधाई दी ।

कार्य परिषद् के माननीय सदस्य सरदार कुलदीप सिंह ने परीक्षाफल समय से घोषित होने पर कुलपति जी को धन्यवाद दिया ।

कार्य परिषद ने विचारणीय मदों पर निम्नलिखित निर्णय लिया :

१. कार्य परिषद् की विगत बैठक दिनांक १६.६.१९९७ के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

कार्य परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक १६.६.१९९७ की कार्यवाही का सम्पुष्टीकरण किया ।

२. कार्य परिषद् की विगत बैठक दिनांक १६.६.१९९७ के क्रियान्वयन की सूचना ।

कार्य परिषद् अपनी पूर्व बैठक दिनांक १६.६.१९९७ के निर्णयों के क्रियान्वयन से अवगत हुई ।

३. वित्त समिति की बैठक दिनांक १३.२.१९९८ की संस्तुतियों एवं वित्तीय वर्ष १९९७-९८ के पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष १९९८-९९ के बजट अनुमोदन पर विचार ।

कार्य परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक १३.२.९८ की बैठक की संस्तुतियों एवं वित्तीय वर्ष १९९७-९८ के पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष १९९८-९९ के बजट के अनुमोदन पर विचार किया। कार्य परिषद् ने इस सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया कि सम्बन्धित बजट वित्तीय वर्ष १९९८-९९ के प्रारम्भ होने से पूर्व परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर पारित कराया जाना चाहिए था और जिसे समय से पारित नहीं कराया गया। माननीय कुलपति महोदय एवं वित्त अधिकारी ने इस सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयों एवं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देते हुए यह बताया कि कुछ असामान्य परिस्थितियों के कारण बजट को कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए समय से नहीं रखा जा सका। उन्होंने कार्य परिषद् को आश्वस्त किया कि अब इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी । कार्य परिषद् सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह विचार प्रकट करती है कि भविष्य में समय से बजट कार्य परिषद् से पारित करा लिया जाया करे। कार्य परिषद् ने बजट के प्राविधानों पर विचार किया और बजट का अनुमोदन किया ।

४. विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वीकृत पेंशन योजना से पूर्व मृत कर्मचारियों के आश्रितों को विकल्प भरने की स्वीकृति एवं योजना में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार ।

कार्य परिषद् ने विचारोपरान्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन योजना से पूर्व मृत कर्मचारियों के आश्रितों को विकल्प-पत्र भरने एवं पेंशन-योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की । इस निर्णय से सरकार को अवगत कराने के आदेश दिए ।

५. शासन द्वारा सृजित पदों के समायोजन के उपरान्त अनानुमोदित पदों एवं उन मदों जो कि पूर्व में कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित हैं, पर विचार ।

कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि शासन द्वारा अनानुमोदित पदों एवं मदों के औचित्य एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन को बार-बार लिखा जाय । कार्य परिषद् ने अनानुमोदित मदों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि बिना

शासनादेश के इनका भुगतान तो नहीं किया जा सकता परन्तु इनके औचित्य के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भित किया जाए । शासन से अनुमोदन प्राप्त करने की पहल हेतु कार्य परिषद् ने निम्न सदस्यों की एक उप समिति गठित की -

१. सरदार कुलदीप सिंह
२. डा० वी० डी० गुप्ता
३. डा० एम० पी० सिन्हा

६. भवन-निर्माण समिति दिनांक १६.७.१९९७ की संस्तुतियों पर विचार ।

भवन-निर्माण समिति की बैठक दिनांक १६.७.१९९७ की संस्तुतियों का अनुमोदन कार्य परिषद् ने इस शर्त के साथ किया कि शासन इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराये । इसके लिए शासन को लिखा जाय । शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर इसका भुगतान किया जाय ।

७. विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षान्त समारोह के आयोजन की तिथि निर्धारित करने एवं मानद् उपाधियों हेतु नामों पर विचार ।

कार्य परिषद् ने दीक्षान्त समारोह दिसम्बर, १९९८ में आयोजन करने का निर्णय लिया । मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु समस्त सम्मानित सदस्यों से उपाधि प्रदान करने योग्य विशेष व्यक्तियों के नामों का सुझाव, उनके बायो-डाटा के साथ कुलपति को दिये जाने का अनुरोध किया ।

८. विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत उपाधियां बनाये जाने पर विचार ।

कार्य परिषद् ने कम्प्यूटरीकृत उपाधियां बनाये जाने के इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया । साथ ही इसमें प्रयुक्त होने वाले कागज की गुणवत्ता तथा गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये ।

९. विश्वविद्यालय के आवासीय शिक्षकों के वैयक्तिक प्रोन्नति तथा स्थाईकरण के प्रकरणों पर विचार ।

विश्वविद्यालय के आवासीय शिक्षकों के स्थाईकरण पर विचार करते हुए कार्य परिषद् ने जीवन विज्ञान संकाय के निम्नलिखित शिक्षकों को स्थायी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की :

१. डा० नन्द लाल, रीडर
२. डा० रंजीत किशोर मिश्र, प्रवक्ता
३. डा० राजेश कुमार, प्रवक्ता

कार्य परिषद् ने एम०बी०ए० विभाग में नियुक्त दो आचार्यो (प्रोफेसर) - डा० आर० सी० कटियार तथा डा० संजय श्रीवास्तव के स्थायीकरण पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि इन दो आचार्यों में से जो वरिष्ठ हैं उन्हें स्थायी पद पर स्थायी किया जाय तथा दूसरे को पद स्थायी होने पर

स्थायी किया जाय । वरिष्ठता निर्धारण हेतु कार्य परिषद् के सदस्यों की एक उप समिति निम्नवत् गठित की गई -

१. डा० वी० डी० गुप्ता

२. सरदार कुलदीप सिंह

३. डा० एम० पी० सिन्हा

१०. शोध-उपाधि के लिए मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त एवं परीक्षा-समिति के निर्णय दिनांक २८.७.१९९७ द्वारा ३८, दिनांक २१.१०.१९९७ की समिति द्वारा ३६ एवं दिनांक १०.८.१९९८ की समिति द्वारा १८६ योग्य घोषित शोधार्थियों को उपाधि से अलंकृत करने की संस्तुतियों पर विचार ।

कार्य परिषद् ने परीक्षा समिति की उपरोक्त सभी संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

११. राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम शिक्षकों की अधिवर्षता आयु के उपरान्त पुनर्नियुक्ति पर विचार ।

कार्य परिषद् ने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम शिक्षकों की अधिवर्षता आयु के उपरान्त दो वर्ष की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

१२. स्ववित्त पोषित बी०बी०ए०, ललित कला, बी०सी०ए०, एम०सी०ए०, एम०एस०डब्लू०, पत्रकारिता, बी०एस-सी०(होम साइंस), एम०एस-सी०(होम साइंस), टूरिज्म एवं होटल मैनेजमेन्ट, इण्टरनेशनल ट्रेड एण्ड इक्सपोर्ट इम्पोर्ट डाकूमेन्टेशन एण्ड टैक्निकल नो हाऊ एण्ड फारेन इक्सचेंज पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति पर विचार ।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि उपर्युक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को एकेडमिक काउंसिल में रख कर समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्य परिषद् में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

१३. दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विषयों की स्थगित कक्षायें पुनः आरम्भ करने हेतु कुलपति जी के आदेश दिनांक ७-११-१९९७ की सूचना ।

कार्य परिषद् ने दयानन्द महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विषयों की स्थगित कक्षाओं को पुनः आरम्भ करने हेतु कुलपति जी के आदेश दिनांक ७.११.१९९७ का अनुमोदन किया ।

१४. शासन के पत्रांक २९०३/१५-११-९५ शिक्षा अनुभाग-२ दिनांक १८-१०-९५ एवं पत्रां १९६०/सत्तर-२-९७-२(८५)९७ शिक्षा अनुभाग-२ दिनांक ११.११.१९९७ के अनुसार दयानन्द महि प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एम०एड० की सायंकालीन कक्षा प्रारम्भ करने हेतु कुलपति जी के आदेश दिनांक ६.१२.१९९७ तथा २०.१०.१९९७ की सूचना ।

कार्य परिषद् उपरोक्त सूचना से अवगत हुई ।

१५. कम्प्यूटर केन्द्र में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत चल रहे/चलाये जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संशोधित अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम पर बोर्ड आफ स्टडीज़ द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों के अनुमोदन प विचार ।

कार्य परिषद् ने निर्देश दिया कि कम्प्यूटर केन्द्र में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत च रहे/चलाये जाने वाले संशोधित पाठ्यक्रमों एवं अध्यादेशों को संकाय एवं एकेडमिक कांउसिल की बैठकों में रख कर समितियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त अगली का परिषद् की बैठक में विचारार्थ रखा जाए ।

१६. मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया में विश्वविद्यालय की ओर से किसी एक सदस्य को नामित कर पर विचार ।

कार्य परिषद् ने मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया में विश्वविद्यालय की ओर से डा० एम०के० शर्मा, प्राचार्या, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर को नामित करने का निर्णय लिया ।

१७. सी०सी०आई०एम० तथा एम०सी०आई० द्वारा क्रमशः बी०यू०एम०एस०, बी०ए०एम०एस० हेतु व्यावसायिक परीक्षा व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में सूचना ।

कार्य परिषद् उपर्युक्त व्यावसायिक परीक्षा-व्यवस्था लागू किये जाने से अवगत हुई ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी मद पर विचार

१८(१) कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र संख्या ई-३४४६/जी०एस० दिनांक १३.७.१९९८ के सन्दर्भ में कार्य परिषद् की बैठक दिनांक १९ मई के मद संख्या ७ के अन्तर्गत आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, मेडिकल, डेन्टल, एम०बी०ए० एवं इन्जीनियरिंग के पाठ्यक्रम संचालित करने के निर्धारित मानक को उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत कराने का निर्देश दिया ।

१८(२) शासनादेश संख्या वे०आ०-२-१००७/दस-१७ जी-९८ दिनांक १० जुलाई, १९९८ द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक १.१.१९९६ से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने पर विचार ।

कार्य परिषद् ने इस विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत वेतनमानों का शासनादे संख्या - वे०आ०-२-१००७/दस-७० जी-९८ दिनांक १० जुलाई, १९९८ अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों का १.१.१९ से वेतन पुनरीक्षण किये जाने का अनुमोदन किया।

१८(३) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या - १९६०/७०-२-९७-२(८५)/९७ दिनांक ११.११.१९९७ के द्वारा निर्धारित दिनांक १.७.१९९८ से एम०बी०ए० पाठ्यक्रम के विभि श्रेणी के छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क पर विचार ।

एम०बी०ए० पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी के छात्रों से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक ११.११.१९९७ द्वारा निर्धारित शुल्क दिनांक १.७.१९९८ से लिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

१८(४) उत्तर-प्रदेश-शासन के आदेश संख्या ४२९-शि०म०/सत्तर-६-९८-१५/९५ उच्च शिक्षा अनुभाग-६ दिनांक १७ अगस्त, १९९८ के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्याल के शिक्षकों के पारस्परिक/एकल स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु परिनियम में प्राविधान किये जाने पर विचार ।

कार्य परिषद् ने उच्च शिक्षा अनुभाग-६ के शासनादेश दिनांक १७ अगस्त, १९९ के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक/एकल स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु परिनियम में प्राविधान किये जाने का अनुमोदन किया तथा इस प्राविधान में न्यूनतम १० वर्ष की सेवा को ५ वर्ष किये जाने के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया ।

१८(५) प्री-तिब्ब की परीक्षा कराने हेतु बनाये गये आर्डिनेन्स की स्वीकृति पर विचार ।

कार्य परिषद् ने प्री-तिब्ब की परीक्षा कराने हेतु अध्यादेश का अनुमोदन किया ।

१८(६) विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा निवृत्ति/स्थानान्तरण पर आवंटित विश्वविद्यालय-आवास के मकान किराये की वसूली के सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेश-शासन के नियम लागू करने पर विचार ।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा-निवृत्ति/स्थानान्तरण पर आवंटित विश्वविद्यालय आवास के मकान किराये की वसूली के सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेश-शासन के नियम लागू किये जाने का अनुमोदन किया ।

१८(७) ओवरसीज एजेन्सी को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार ।

कार्य परिषद् ने ओवरसीज एजेन्सी को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कुलपति जी को एक उप समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया ।

१८(८ए) रूसी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार । (विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में पहले से ही इसका प्रावधान है)

कार्य परिषद् ने रूसी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की ।

१८(८बी) आधुनिक भारतीय भाषाओं - विशेषकर दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन केन्द्र की स्थापना तथा एक वर्षीय डिप्लोमा तथा दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रारम्भ करने पर विचार ।

आधुनिक भारतीय भाषाओं विशेषकर दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन केन्द्र की स्थापना तथा एक वर्षीय डिप्लोमा एवं दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के प्रस्ताव का कार्य परिषद् ने अनुमोदन किया ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(डा० ब्रज किशोर सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(बाल कृष्ण पाण्डेय)
कुलसचिव/सचिव